न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :–

1. दयालराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कैलाशराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
2. घासीराम पुत्र हुक्मारा जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
3. चुकादेवी पत्नी हुकमाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
4. छोटूराम पुत्र मूला जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
5. दीनाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
6. दौलाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
7. पप्पूराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
8. रतनाराम पुत्र मूला फौत के कायम मुकामान
   8/1 परसाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
   8/2 राजूराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
   8/3 हरिराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
   8/4 झमकू देवी पत्नी रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
   8/5 दुर्गा देवी पुत्री रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
   8/6 गीता देवी पुत्री रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
   8/7 बाउ देवी पुत्री रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
   8/8 सन्तु देवी पुत्री रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
9. राकेश पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
10. रामनिवास पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
11. रामाराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
12. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैक शाखा परबतसर
13. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफत्रसी. बैक शाखा अजमेर
14. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैक शाखा परबतसर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री देवेन्द्र मालाकर अधिवक्ता वादी,
मुकदमा नम्बर :– 2025/93

निर्णय दिनांक :– 26.05.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र मालाकार ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम पीपलाद पटवार हल्का पीपलाद भू–अभिलेख निरीक्षक परबतरार की राजस्व सीमा में खसरा

संख्या 615 रकबा 5.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 616 रकबा 5.6700 हैक्टेयर कुल रकबा 11.3400 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आई हुई है। जिसका वादी व प्रतिवादीगण उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्तकार है। वादी का उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 11 का राजस्व रेकर्ड अनुसार हिस्सा आया हुआ है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 11 अपनी सुविधा अनुसार कृषि भूमि का उपज प्राप्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण विवादग्रस्त कृषि भूमि में संयुक्त अपनी सुविधानुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। वादी अपने 1/2 हिस्से के अनुसार बंटवारा कराकर अपने अलग होल्डिंग कायम करवाने के लिए प्रतिवादीगण को अनुनय विनय किया परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 वादी के 1/2 हिस्से के अनुसार बंटवारा कराकर अलग होल्डिंग कायम कराने पर सहमत नहीं होने के कारण वादी अपने 1/2 हिस्से की अलग होल्डिंग कायम करवाने की इस्तदुआ चाही है।

दावा वकील वादी द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के नोटिस तामील सुदा प्राप्त हुए। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व पत्रावली साक्ष्य वादी में तलब की गई जिसमें वादी स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर बहस वकील वादी की एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद बंटवारा का होने से प्राथमिक रूप स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज माफिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर मंगवाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने विद्वान अभिभाषक की विद्ववतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वादी ने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की पेश की है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। वादी का वाद बंटवारे का होने के कारण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को बंटवारा प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार परबतसर द्वारा अपने पत्रांक भूअ/2025/978 दिनांक 22.05.2025 को उभय पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिसका अवलोकन कर वकील वादी ने सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

घोषित किया जाकर अलग–अलग होल्डिंग कायम किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम पीपलाद पटवार हल्का पीपलाद भू–अभिलेख निरीक्षक परवतसर की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 615 रकबा 5.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 616 रकबा 5.6700 हैक्टेयर कुल रकबा 11.3400 हैक्टेयर भूमी का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमां इब्ताहाई (ओ 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालत:– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला (डीडवाना–कुचामन), राज.**

वादीगण :–

1. दयालराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1.कैलाशराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
2. घासीराम पुत्र हुक्मारा जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
3. चुकादेवी पत्नी हुक्माराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
4. छोटूराम पुत्र मूला जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
5. दीनाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
6. दौलाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
7. पप्पूराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
8. रतनाराम पुत्र मूला फौत के कायम मुकामान

8/1 परसाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
8/2 राजूराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
8/3 हरिराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
8/4 झमकू देवी पत्नी रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
8/5 दुर्गा देवी पुत्री रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
8/6 गीता देवी पुत्री रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
8/7 बाउ देवी पुत्री रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
8/8 सन्तु देवी पुत्री रतनाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर

9. राकेश पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
10. रामनिवास पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
11. रामाराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी पीपलाद तहसील परबतसर
12. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैक शाखा परबतसर
13. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफत्रसी. बैक शाखा अजमेर
14. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैक शाखा परबतसर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन)

दावा बाबत् :– बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री देवेन्द्र मालाकर अधिवक्ता वादी,

मुकदमा नम्बर :– 2025/93 निर्णय दिनांक :– 26.05.2025

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू....... बहाजरी श्री अधिवक्ता वादी श्री देवेन्द्र मालाकार मिनजानिब मुदई रूबरू............ मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि :–

कि ग्राम पीपलाद पटवार हल्का पीपलाद भू–अभिलेख निरीक्षक परबतसर की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 615 रकबा 5.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 616 रकबा 5.

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

6700 हैक्टेयर कुल रकबा 11.3400 हैक्टेयर भूमी का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.05.2025 को जारी की गई।

मुहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना कुचामन)

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना कुचामन)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिष्नर		
फीस कमिष्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीलान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)